मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016
फोन–0755–2762961, 2576769, फैक्स– 2766851
वेबसाईट : www.mperc.org ई–मेल : secmperc@sancharnet.in

क्रमांक /मप्रविनिआ/07 भोपाल, दिनांक –

प्रेस–विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2007–08 के खुदरा टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएं

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खुदरा टैरिफ की दरों का अवधारण उनके आदेश दिनांक 30 मार्च 2007 द्वारा किया गया है। टैरिफ दरों को सम्पूर्ण राज्य में एक समान रखा गया है। राज्य की तीन वितरण कंपनियों, यथा, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति में अपेक्षा की गई है कि वर्ष 2010–11 के अंत तक, समस्त उपभोक्ताओं की टैरिफ दरें औसत विद्युत प्रदाय की लागत के +/– 20 प्रतिशत के अंतर्गत होनी चाहिए। आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी तथा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मार्ग दर्शिका के अनुसरण में विभिन्न हितधारकों से उनके सुझाव आमंत्रित किये गये थे। टैरिफ दरों का अवधारण करते समय, आयोग को राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों का अनुसरण करना होता है, अतएव उसे टैरिफ दरों का अवधारण इस प्रकार करना होता है कि राज्यानुदान प्राप्तकर्ता की श्रेणी (घरेलू तथा कृषि) को युक्तियुक्त किया जावे तथा इस नीति में किये निर्बधंन के अनुरूप सीमा के अंतर्गत लाया जावे।

2/ वित्तीय वर्ष 08 हेतु तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी टैरिफ याचिका में निम्नानुसार टैरिफ अभिवृद्धि प्रस्तावित की गई थी :

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित की गई टैरिफ अभिवृद्धि

अनुज्ञप्तिधारी	चालू टैरिफ दर के अनुसार राजस्व प्राप्ति	प्रस्तावित टैरिफ दर के अनुसार अतिरिक्त प्राक्कलित राजस्व की प्राप्ति	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई वृद्धि (प्रतिशत में)
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2992 करोड़	122 करोड़	4.07%
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2357 करोड़	127 करोड़	5.38%
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2315 करोड़	120 करोड़	5.18%
सम्पूर्ण राज्य	7664 करोड़	369 करोड़	4.81%

उपरोक्त तालिका के अनुसार पश्चिम, पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा टैरिफ दर में क्रमशः 4.07 प्रतिशत, 5.38 प्रतिशत एवं 5.18 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई है जो कि समग्र रूप से 4.81 प्रतिशत है।

3/ आयोग द्वारा किये गये सूक्ष्म परीक्षण उपरांत वितरण कंपनीवार राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की गई है :

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	प्रस्तुत की गई राजस्व आवश्यकता (गैर–टैरिफ आय को घटाकर)	राजस्व आवश्यकता (अनुमोदित की गई)
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2623.04	2430.82
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2874.83	2375.17
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	3305.00	2917.35
योग	**8802.87**	**7723.27**

तीन कंपनियों द्वारा प्राक्कलित की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 7723.27 करोड़ की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निर्धारित की गई है। आयोग ने राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2007 की प्रति यूनिट की औसत विद्युत प्रदाय लागत के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2008 में यह दर रूपये 3.60 हो गयी। तदनुसार यह दर 11 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गई है।

4/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित वार्षिक लक्ष्यों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2007–2008 हेतु हानियों का स्तर, जिसके आधार पर वितरण टैरिफ दरों का अवधारण किया गया है, निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	32.5 प्रतिशत
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	28.5 प्रतिशत
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	40.0 प्रतिशत

चालू टैरिफ दरों के अनुसार आयोग द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु 7679 करोड़ की राजस्व आय की प्राप्ति का अनुमान किया है तथा समग्र रूप से टैरिफ दरों से 0.51 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुज्ञेय की है। निम्नदाब (एल.टी.)/उच्चदाब (एच.टी.) श्रेणियों हेतु टैरिफ दर में अभिवृद्धि अथवा कमी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

आयोग द्वारा अनुमोदित की गई टैरिफ अभिवृद्धि दर

सम्पूर्ण राज्य हेतु	चालू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 07) के अनुसार आयोग द्वारा प्राक्कलित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	अनुमोदित टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 08) के अनुसार प्राक्कलित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	राजस्व में वृद्धि/कमी (करोड़ रूपये में)	प्रतिशत अभिवृद्धि दर
निम्नदाब	4248	4319	71	1.67 %
उच्चदाब	3431	3399	(–) 32	(–) 0.94 %
योग	**7679**	**7718**	**39**	**0.51 %**

5/ टैरिफ बिलिंग हेतु गैर दूरबीन (नॉन टैलिस्कोपिक) पद्धति पर आधारित है तथा किसी भी श्रेणी हेतु निःशुल्क यूनिटों का प्रावधान नहीं किया गया है।

6/ वितरण कंपनियों को गैर–मीटरीकृत घरेलू, गैर घरेलू तथा कृषि संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने अथवा वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर प्रदान किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। डीटीआर मीटरीकृत संयोजनों के लिए टैरिफ दर निम्न स्तर पर रखी गई है।

निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं की श्रेणीवार विशेषताएं

घरेलू श्रेणी :

- आयोग द्वारा प्रतिमाह 30 यूनिट प्रतिमाह की दर से खपत वाले उपभोक्ताओं को जिनकी भुगतान क्षमता न्यून हो, जीवन–स्तरीय (लाईफ–लाईन) उपभोक्ता माना है तथा इनके लिये पूर्व वर्ष के अनुरूप 265 पैसे प्रति यूनिट की न्यून दर अवधारित की है जो केवल मीटरीकृत उपभोक्ताओं को ही लागू होगी।
- वे उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत 30 यूनिट से 50 यूनिट तक है उनका टैरिफ 270 पैसे प्रति यूनिट की दर से यथावत रखा गया है।
- वे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी विद्युत खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक तथा 100 यूनिट प्रतिमाह तक है, उनके लिए टैरिफ दर मे ंवृद्धि की गई है तथा इसे पूर्व वर्ष की दर 300 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 305 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 07 के मुकाबले में 1.67 प्रतिशत अधिक है।
- वे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी विद्युत खपत की मात्रा 100 यूनिट से अधिक है, उनके लिये ऊर्जा प्रभार में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है तथा इसे 350 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है। इस श्रेणी के लिए टैरिफ दर में 2.94 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- स्वयं द्वारा निर्माण किये जा रहे भवनों (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु), सामाजिक/ वैवाहिक प्रयोजनों हेतु तथा धार्मिक समारोहों हेतु, अस्थाई संयोजनों के लिए ऊर्जा प्रभारों को 510 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर इसे 400 पेसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
- घरेलू उपभोक्ताओं को प्रभारित किये जाने वाले न्यूनतम प्रभार को रूपये 30/– प्रति संयोजन यथावत रखा गया है।
- विभिन्न खपत के स्लैब्स हेतु स्थाई प्रभारों को निम्नानुसार अवधारित किया गया है :

मासिक खपत के स्लैब	शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभार	विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभार
30 यूनिट तक	शून्य	शून्य
31 से 30 यूनिट तक	रू. 5 प्रति उपभोक्ता	रू. 2 प्रति उपभोक्ता
51 से 100 यूनिट तक	रू. 10 प्रति उपभोक्ता	रू. 5 प्रति उपभोक्ता
100 यूनिट से अधिक	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 15	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 10
स्वयं द्वारा निर्माण किये जा रहे भवन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु), सामाजिक/ वैवाहिक प्रयोजनों हेतु तथा धार्मिक समारोह हेतु	रू. 10 प्रति उपभोक्ता	
गैर मीटरीकृत संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत	रू. 2 प्रति उपभोक्ता	

अधिसूचित तथा राज्य शासन द्वारा परिभाषित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों मे ंविद्युत प्रदाय		
वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) मीटर के माध्यम से	शून्य	शून्य

- 100 से 200 यूनिट तथा 200 यूनिट से अधिक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले अलग–अलग स्थाई प्रभार समाप्त कर दिये गये हैं।
- इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के संबंध में शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में अलाभकारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, आयोग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं हेतु न्यून टैरिफ दर प्रस्तावित की गई है। शहरी क्षेत्र में विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से वही अधिकृत भार के प्रति आधा किलोवाट रू. 15 की दर से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से अधिकृत भार के प्रति आधा किलोवाट रू. 10 की दर से स्थाई शुल्क वसूल किये जायेंगे जिनकी विद्युत खपत 100 यूनिट से अधिक है।
- विद्युत प्राप्त करने वाले बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में रू. 10 प्रति उपभोक्ता की दर से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 2 प्रति उपभोक्ता की दर से स्थाई प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- शहरी क्षेत्रों में, बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रतिमाह की दर से 77 यूनिटों हेतु 305 पैसे प्रति यूनिट टैरिफ की वसूली की जावेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 38 यूनिटों हेतु 270 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैरिफ की वसूली की जावेगी।

गैर–घरेलू श्रेणी:

- इस श्रेणी हेतु ऊर्जा प्रभारों में प्रति यूनिट 35 पैसे की कमी की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु एक 545 पैसे प्रति यूनिट की समान दर निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2007 की लागू टैरिफ दर से यह कमी समग्र रूप से 6.03 प्रतिशत कम है।
- शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) हेतु विकल्प प्रदान किया है जो कि ऊर्जा प्रभार 430 पैसे प्रति यूनिट की दर के साथ रू. 150 प्रति किलोवाट स्थाई प्रभारों के भुगतान द्वारा अथवा 120 प्रति के.वी.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह होगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु यह दर रू. 90 प्रति किलोवाट अथवा बिलिंग मांग का रू. 72 प्रति के.वी.ए प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
- इस श्रेणी के अर्न्तगत अस्थाई संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभारों की दरें वित्तीय वर्ष 2007 में 870 पैसे प्रतियूनिट के मुकाबले में कमीकर रू. 650 प्रतियूनिट कर दी गई है जो कि समग्र रूप से 25.3 प्रतिशत कम कर दी गई है।

सार्वजनिक जल प्रदाय संयन्त्र तथा पथ प्रकाश श्रेणी

- इस श्रेणी के उपभोक्ताओ हेतु स्थाई प्रभारों में काई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- नगर पालिका निगम/छावनी बोर्ड, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत के शीर्ष के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभारों में वित्तीय वर्ष 07 हेतु लागू ऊर्जा प्रभारों के मुकाबले में क्रमशः 10 पैसे, 15 पैसे तथा 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

निम्न दाब उद्योग

- इस श्रेणी में शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु अलग–अलग स्थाई प्रभारों की वसूली की अवधारणा लागू की गई है।
- गैर मौसमी (नॉन सीजनल) हेतु लागू स्लैब्स में से एक स्लैब कम कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 10 अश्वशक्ति से 25 अश्वशक्ति की मांग वाले उपभोक्ताओं से प्रभावशील ऊर्जा प्रभार 10 पैसे कम कर दिये गये हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वसूल किये जा रहे स्थाई प्रभारों में उल्लेखनीय कमी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 अश्वशक्ति की मांग वाले उपभोक्ता को पूर्व में लागू रू. 60 प्रति अश्वशक्ति की तुलना में अब रू. 10 प्रति अश्वशक्ति का भुगतान करना होगा, जो कि समग्र रूप से 83.33 प्रतिशत की दर से कम है।
- शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे 25 अश्वशक्ति की मांग वाले उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभार रू. 10 प्रति अश्वशक्ति की दर से कम कर दिये गये हैं जो कि समग्र रूप से 16.7 प्रतिशत की दर से कम हैं।
- इस श्रेणी के अंतर्गत मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं की टैरिफ दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है।
- इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु पावर फैक्टर प्रोत्साहन लागू किया गया है।
- इस श्रेणी के ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं के लिए विभेदक न्यूनतम खपत स्तर लागू किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम खपत स्तर शहरी क्षेत्र के स्तर का 66 प्रतिशत होगा।

कृषि श्रेणी

- इस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार के स्थाई प्रभार अधिरोपित नही किये जा रहे हैं।
- कृषि उपभोक्ताओं हेतु प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह की खपत हेतु मात्र 5 पैसे की वृद्धि लागू की गई है। इन उपभोक्ताओं से 300 यूनिट से अधिक खपत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों की वसूली की जावेगी।
- इसी प्रकार, अस्थाई संयोजन वाले उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्रभारों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जो कि वित्तीय वर्ष 07 की दर से समग्र रूप से 1.67 प्रतिशत अधिक हैं।
- वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं को लागू ऊर्जा प्रभार 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से कम कर 200 पैसे कर दिये गये हैं जो कि वित्तीय वर्ष 07 की दर से समग्र रूप से 9.09 प्रतिशत कम हैं।

उच्चदाब (एच.टी.) उपभोक्ताओं की श्रेणीवार मुख्य विशेषताएं

- एच.टी. उपभोक्ताओं के लिए एक नई लोड फैक्टर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। लोड फैक्टर लागू होने हेतु सीमा, घटा दी गई है, ताकि और अधिक उपभोक्ता को लोड फैक्टर योजना का लाभ मिल सके। लोड फैक्टर प्रोत्साहन योजना में उपभोक्ता पर लागू होने वाली वृद्धि प्रत्येक लोड फैक्टर में होने वाली प्रतिशत वृद्धि अनुसार होगी।

रेलवे ट्रेक्शन

- रूपये 150/– केव्हीए प्रतिमाह स्थायी प्रभार समाप्त कर दिया गया है और 460 पैसे प्रति यूनिट सिंगल पार्ट टैरिफ निर्धारित किया गया है।

- रेलवे 32 प्रतिशत औसत लोड फैक्टर पर संचालित होती है जो वर्ष 2007 वित्तीय वर्ष में 464 पैसे प्रति यूनिट दर से संबंधित है। तदनुसार इसमें 4 पैसे प्रति यूनिट औसतन कमी होगी।

कोल माइन्स

- इस श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार की दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
- स्थायी प्रभार में रूपये 15 प्रति केव्हीए प्रति माह की कमी की गई है। तदनुसार इसमें 3.75 प्रतिशत की कमी की गई है।

औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक श्रेणी

- इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैरिफ का युक्तियुक्तकरण किया गया है।
- 11 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए मांग प्रभार क्रमशः 30 रूपये प्रति केवी प्रति प्रतिमाह और 100 रूपये प्रति केवी प्रति प्रतिमाह की कमी की गई है।
- 33 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभार क्रमशः 5 पैसे प्रति यूनिट एवं 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है।
- 11 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर पर गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु मांग प्रभार क्रमशः 30 रूपये प्रति केवी प्रति प्रतिमाह एवं 100 रूपये केव्हीए प्रति प्रतिमाह कम किये गये हैं।
- 33 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर के गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभार क्रमशः 5 पैसे प्रति यूनिट एवं 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है।
- 11 केवी औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार में 5 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है।

मौसमी (सीजनल) उद्योग

- मौसमी (सीजनल) तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान अलग–अलग ऊर्जा तथा मांग प्रभारों की वसूली की अवधारण लागू की गई है।
- मौसम के दौरान मांग तथा ऊर्जा प्रभार वित्तीय वर्ष 07 के अनुरूप रखे गये हैं।
- मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) अवधि में मांग प्रभारों पर 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जावेगी। तथापि, उपभोक्ताओं पर ऊर्जा प्रभार, मौसमी ऊर्जा प्रभारों के 120 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किये जावेंगे।

उच्चदाब सिंचाई तथा जल प्रदाय संयत्र

- सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मांग तथा ऊर्जा प्रभारों में किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं किये गये हैं। 132 केवी पर प्रचालित सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र के मांग प्रभारों में मात्र रू. 4 प्रति केवीए प्रतिमाह की दर से वृद्धि की गई है।
- सामूहिक सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन) तथा उद्वहन सिंचाई योजना (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम संबंधी) श्रेणियों को सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र श्रेणी में संविलीन कर दिया गया है। अतः सामूहिक सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई श्रेणी के मांग तथा ऊर्जा प्रभारों में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः रू. 40 प्रति केवीए तथा 30 पैसे प्रति यूनिट की दर कमी हुई है।

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिर्जेन्शल यूजर्स)

- थोक आवासीय प्रयोक्ताओं हेतु मांग तथा ऊर्जा प्रभार अपरिवर्तनीय रखे गये हैं।
- इस शीर्ष के अंतर्गत एक नवीन श्रेणी अर्थात् ''सहकारी समूह गृहनिर्माण संस्थाएं (कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज)'' का सृजन किया गया है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मांग प्रभार थोक आवासीय प्रयोक्ताओं को रू. 100 प्रति केवीए की दर से लागू की तुलना में मात्र रू. 20 प्रति केवीए की दर से काफी न्यून रखे गये हैं। 11 केवी तथा 33 केवी के उपभोक्ताओं से भी ऊर्जा प्रभार क्रमशः 25 पैसे प्रति यूनिट तथा 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से कम कर दिये गये हैं।

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय

- इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव